

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
जो दूरा

27/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। वकील वादी ने गत आदेशिका दिनांक 09.07.2024 की पालना आदिनांक तक नहीं की है। प्रकरण में वकील वादी को अनेक अवसर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रदत्त किये गये हैं। परन्तु वकील वादी आदिनांक तक साबिका आदेश की पालना नहीं की है। वकील वादी को गत तारीख पेशी पर हिदायत दी गई थी, जिसके बावजूद भी वकील वादी प्रतिवादीगण की तलबी की जाने में असमर्थ रहे हैं।

अतः प्रकरण हाजा में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी प्रतिवादीगण की तामील कराने में असमर्थ रहने पर वादी का वाद पत्र अधीन धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट में अदम तकमील में खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नावां (डीडवाना-कुघामन)

